गेल (इंडिया) लिमिटेड
(भारत सरकार का उपक्रम – महारत्न कंपनी)
GAIL (India) Limited
(A Government of India Undertaking - A Maharatna Company)

गेल भवन,
16 भीकाएजी कामा प्लेस
नई दिल्ली-110066, इंडिया
GAIL BHAWAN,
16 BHIKAIJI CAMA PLACE
NEW DELHI-110066, INDIA
फोन/PHONE : +91 11 26182955
फैक्स/FAX : +91 11 26185941
ई–मेल/E-mail : info@gail.co.in

एनडी/गेल/सेक्ट/2019

20 अगस्त, 2019

लिस्टिंग विभाग नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड एक्सचेंज प्लाज़ा, 5वीं मंजिल, प्लॉट सं. सी/1, जी ब्लॉक, बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व) मुम्बई - 400051	लिस्टिंग विभाग, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड फ्लोर 1, फिरोज़ जीजीभॉय टॉवर्स, दलाल स्ट्रीट, मुम्बई - 400001

विषय : दिनांक 20 अगस्त, 2019 को आयोजित की गई कंपनी की 35वीं वार्षिक आम सभा की कार्यवाही

प्रिय महोदय,

सेबी (सूचीकरण बाध्यताएं एवं प्रकटन अपेक्षाएं) विनियमन, 2015 के विनियमन 30 (2) की अनुसूची III के पैरा ए के पार्ट ए की अपेक्षानुसार, कृपया दिनांक 20 अगस्त, 2019 को आयोजित की गई कंपनी की 35वीं वार्षिक आम सभा की कार्यवाही का सार संलग्न है।

उपर्युक्त आपकी सूचना एवं रिकॉर्ड हेतु है।

धन्यवाद,

भवदीय

(ए.के. झा)
कंपनी सचिव

गेल (इंडिया) लिमिटेड
(भारत सरकार का उपक्रम)
पंजीकृत कार्यालय: 16, भीकाएजी कामा प्लेस, आर.के. पुरम, नई दिल्ली-110066
सीआईएन: L40200DL19840GOI018976 **वेबसाइट:** www.gailonline.com
ई-मेल: shareholders@gail.co.in
फोन: 011-26182955, **फैक्स:** 011-26185941

दिनांक 20 अगस्त, 2019 को आयोजित की गई कंपनी की 35वीं वार्षिक आम सभा की कार्यवाही

कंपनी की 35वीं वार्षिक आम सभा का आयोजन **दिनांक 20 अगस्त, 2019** को प्रात: 10:30 बजे मानेक्षा सेंटर, परेड रोड, दिल्ली कंटोनमेंट, नई दिल्ली-110010 में किया गया।

श्री आशुतोष कर्नाटक, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा निदेशक (परियोजना) ने बैठक की कार्यवाही की अध्यक्षता की। अपेक्षित कोरम के उपस्थित होने पर बैठक प्रारंभ किए जाने की घोषणा की गई।

शेयरधारकों के अनुरोध पर अध्यक्ष महोदय ने निदेशकगण के साथ एजीएम हेतु की गई विभिन्न व्यवस्थाओं की समीक्षा की। तत्पश्चात् अध्यक्ष ने अपना संबोधन प्रस्तुत किया। उपस्थित सभी सदस्यों की सहमति से, निदेशक रिपोर्ट, लेखापरीक्षा रिपोर्ट, लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण आदि को पढ़ा गया।

सीएमडी ने सदस्यों को सूचित किया कि सेबी (सूचीकरण बाध्यताएं एवं प्रकटन अपेक्षाएं) विनियमन, 2015 के विनियमन 44 तथा कंपनी अधिनियम की धारा 108, जिसे कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 के साथ पठित, के अनुसार कंपनी ने **शुक्रवार 16 अगस्त, 2019 (प्रात: 09:00 बजे) (आईएसटी) से सोमवार, 19 अगस्त, 2019 (सायं 05:00 बजे) (आईएसटी)** तक अपने सदस्यों के लिए इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान का अधिकार प्रयोग करने हेतु रिमोट ई-वोटिंग करने की सुविधा प्रदान की। रिमोट ई-वोटिंग से अपने वोट का प्रयोग ना कर पाने वाले सदस्यों के लिए एजीएम के स्थान पर ही पोलिंग स्लिप के माध्यम से वोटिंग की सुविधा प्रदान की गई थी।

कंपनी ने शेयरधारकों के लिए वार्षिक आम सभा की कार्यवाही का एकतरफ़ा लाइव वेबकास्ट भी सुबह 10.30 बजे से एजीएम के समापन तक किया।

कंपनी सचिव ने शेयरधारकों की मंजूरी के लिए कारोबारी मुद्दों को प्रस्तुत किया और सीएमडी ने एजीएम नोटिस में सूचीबद्ध प्रस्तावों के उद्देश्य और निहितार्थ, यदि कोई है, के बारे में बताया। एजीएम के दौरान चर्चा किए गए कारोबारी मुद्दे निम्न प्रकार थे :-

मद सं.	कारोबारी मुद्दा	विश्लेषण
सामान्य व्यापार		
1	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष हेतु कंपनी के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण तथा लेखापरीक्षित समेकित वित्तीय विवरण और निदेशक मंडल एवं लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट को अंगीकार करना	सामान्य
2	31 मार्च, 2019 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए अंतिम लाभांश की स्वीकृति और फरवरी, 2019 में पहले ही भुगतान किए गए अंतरिम लाभांश के भुगतान की पुष्टि	सामान्य
3	श्री पी.के. गुप्ता, के स्थान पर निदेशक की नियुक्ति, जो चक्रानुक्रम द्वारा सेवानिवृत्त हो रहे हैं और पात्र होने के नाते उन्होंने स्वयं की पुन: नियुक्ति के लिए उपलब्धता प्रकट की है	सामान्य

4	श्री गजेन्द्र सिंह, के स्थान पर निदेशक की नियुक्ति, जो चक्रानुक्रम द्वारा सेवानिवृत्त हो रहे हैं और पात्र होने के नाते उन्होंने स्वयं की पुन: नियुक्ति के लिए उपलब्धता प्रकट की है	सामान्य
5	वित्त वर्ष 2019-20 के लिए संयुक्त वैधानिक लेखा परीक्षकों के पारिश्रमिक निर्धारण के लिए निदेशक मंडल को प्राधिकृत किया जाना	सामान्य
विशिष्ट व्यापार		
6	श्री ए.के. तिवारी को निदेशक (वित्त) और कंपनी के मुख्य वित्तीय अधिकारी के रूप में नियुक्ति के लिए स्वीकृति, जो कि चक्रानुक्रम द्वारा सेवानिवृत्त होंगे।	सामान्य
7	वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए कंपनी के लागत लेखा परीक्षकों के पारिश्रमिक का विशोधन।	सामान्य
8	पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड के साथ मेटेरियल संबंधित पार्टी लेनदेन।	सामान्य
9	कंपनी के एसोसिएशन के अंतर्नियमों में संशोधन।	विशिष्ट
10	श्री अनुपम कुलश्रेष्ठ को स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त करने की स्वीकृति, चक्रानुक्रम अनुसार सेवानिवृत्त नहीं होंगे।	विशिष्ट
11	श्री संजय टंडन को स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त करने की स्वीकृति, चक्रानुक्रम अनुसार सेवानिवृत्त नहीं होंगे।	विशिष्ट
12	श्री एस.के. श्रीवास्तव को स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त करने की स्वीकृति, चक्रानुक्रम अनुसार सेवानिवृत्त नहीं होंगे।	विशिष्ट

कंपनी सचिव ने सदस्यों को सूचित किया कि श्री सचिन अग्रवाल, प्रैक्टिसिंग कंपनी सचिव को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से मतदान प्रक्रिया की जांच करने के लिए जांचकर्ता के रूप में नियुक्त किया गया था। रिमोट ई-वोटिंग सहित पोल के परिणाम कंपनी और सीडीएसएल की वेबसाइट पर वैधानिक आवश्यकता के अनुसार होस्ट किए जाएंगे। परिणामों को कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में नोटिस बोर्ड पर भी प्रदर्शित किया जाएगा।

सीएमडी ने शेयरधारकों को कारोबारी मुद्दों पर चर्चा के लिए आमंत्रित किया, जिन्हें उपयुक्त रूप से संबोधित किया गया था। शेयरधारकों से मिले सुझावों को नोट किया गया और उसके बाद निदेशक (मा.सं.) ने शेयरधाराकों को धन्यवाद ज्ञापन दिया।

बैठक प्रात: 11:45 बजे सम्पन्न हुई।

एतद्वारा पुष्टि की जाती है कि कंपनी अधिनियम के प्रावधानों, इसके अंतर्गत अधिसूचित नियमों और आईसीएसआई द्वारा जारी किए गए सचिवीय मानकों के अनुसार बैठक बुलायी, संचालित, संघटित और आयोजित की गई।

(ए.के. झा)
कंपनी सचिव